

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 576  
(दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इडुक्की में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवंटित सड़कों और पुल

576. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल में विशेष रूप से इडुक्की संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत आवंटित सड़कों और पुलों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) उक्त उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी निधि जारी की गई है?

उत्तर  
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत केरल राज्य को स्वीकृत और निर्मित सड़कों और पुलों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

मंत्रालय सड़कों और पुलों के निर्माण का संसदीय क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि , पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों को स्वीकृत और निर्मित सड़कों और पुलों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख): योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से राज्य को जारी की जाती हैं। राज्यों को निधियाँ मौजूदा चल रहे कार्यों, राज्यों की निष्पादन क्षमता और प्रदर्शन तथा उनके पास उपलब्ध पूर्व में जारी निधियों की अव्ययित शेष राशि के आधार पर जारी की जाती हैं। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार की समेकित निधि में निधियाँ जारी की जाती हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जिले और उप-जिलेवार निधियाँ जारी की जाती हैं।

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 (दिनांक 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार) तक मंत्रालय ने केंद्रीय निधि के रूप में 398.34 करोड़ रुपये जारी किए हैं और राज्य ने 688.17 करोड़ (राज्य अंश सहित) रुपये खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 (दिनांक 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार) तक एर्नाकुलम जिले में 39.33 करोड़ रुपये का व्यय तथा इडुक्की जिले में 63 करोड़ रुपये (दोनों में राज्य अंश सहित) व्यय किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-1

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत केरल राज्य को स्वीकृत एवं निर्मित सड़कों और पुलों का ब्यौरा

| वित्तीय वर्ष  | स्वीकृत          |                   |                 | निर्मित          |                   |                 |
|---|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|   | सड़कों की संख्या | लंबाई<br>(कि.मी.) | पुलों की संख्या | सड़कों की संख्या | लंबाई<br>(कि.सी.) | पुलों की संख्या |
| 2018-19   | 33               | 111.787           | 2               | 104              | 314.47            | 1               |
| 2019-20   | 0                | 0                 | 0               | 63               | 125.85            | 0               |
| 2020-21   | 20               | 104.56            | 0               | 21               | 76.78             | 0               |
| 2021-22   | 123              | 581.67            | 1               | 20               | 66.65             | 1               |
| 2022-23   | 0                | 0                 | 0               | 23               | 133.21            | 0               |
| 2023-24<br>(दिनांक 01-02-<br>2024 की स्थिति<br>के अनुसार) | 112              | 594.75            | 0               | 27               | 185.81            | 1               |

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्वीकृत एवं निर्मित सड़कों और पुलों का ब्यौरा

| इडुक्की जिला   |                  |                   |                 |                  |                   |                 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| वित्तीय वर्ष   | स्वीकृत          |                   |                 | निर्मित          |                   |                 |
|  | सड़कों की संख्या | लंबाई<br>(कि.मी.) | पुलों की संख्या | सड़कों की संख्या | लंबाई<br>(कि.मी.) | पुलों की संख्या |
| 2018-19  | 2                | 13.56             | 0               | 7                | 31.68             | 0               |
| 2019-20  | 0                | 0                 | 0               | 5                | 13.21             | 0               |
| 2020-21  | 1                | 6.02              | 0               | 2                | 5.28              | 0               |
| 2021-22  | 7                | 43.03             | 0               | 1                | 1.16              | 0               |
| 2022-23  | 0                | 0                 | 0               | 2                | 6.73              | 0               |
| 2023-24 (दिनांक<br>01-02-2024 की<br>स्थिति के<br>अनुसार) | 13               | 71.86             | 0               | 2                | 24.83             | 0               |
| एर्नाकुलम जिला   |                  |                   |                 |                  |                   |                 |
| 2018-19  | 0                | 0                 | 0               | 5                | 7.32              | 1               |
| 2019-20  | 0                | 0                 | 0               | 3                | 6.99              | 0               |
| 2020-21  | 2                | 8.30              | 0               | 1                | 0.05              | 0               |
| 2021-22  | 13               | 67.67             | 1               | 1                | 2.73              | 0               |
| 2022-23  | 0                | 0                 | 0               | 0                | 10.28             | 0               |
| 2023-24 (दिनांक<br>01-02-2024 की<br>स्थिति के<br>अनुसार) | 9                | 59.70             | 0               | 2                | 17.18             | 0               |

\*\*\*\*\*